

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 855]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर 2025 — कार्तिक 20, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क. ESTB-1/939/2025-UAD.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1क के कॉलम (3) में, शब्द “राजस्व अधिकारी” के पश्चात्, चिन्ह एवं शब्द “/जनसंपर्क अधिकारी” जोड़ा जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 नवम्बर 2025

क. ESTB-1/939/2025-UAD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th November 2025

NOTIFICATION

No. ESTB-1/939/2025-UAD.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Rules, 2018, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

In column (3) of serial number 1A of Schedule-IV, after the words “Revenue Officer”, the Symbols and words “/Public Relations Officer” shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.